राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़

सत्र – 2022–2023

सम्बद्ध समस्त राजकीय, अनुदानित महाविद्यालयों/स्ववित्तपोषित संस्थानों के लिए

प्रवेश नियम

1. **प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय के पोर्टल https://rmpssu.org पर समयबद्ध सफल पंजीकरण करना अनिवार्य है।**
2. **योग्यता सूची के आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा अधिकृत पंजीकरण पोर्टल https://rmpssu.org के माध्यम से ही समयबद्ध सफल पंजीकृत अभ्यर्थियों के प्रवेश किये जायेगे।**
3. **10% आरक्षण नीति EWS के लिए लागू होगी।**
4. **विश्वविद्यालय द्वारा अधिकृत पोर्टल पर सफल पंजीकरण के बिना कोई भी प्रवेश मान्य नहीं होगा।**

यह नियम विश्वविद्यालय अधिनियम परिनियम तथा अध्यादेशों के अधीन ही मान्य होगें तथा सम्बद्ध महाविद्यालयों में कला, विज्ञान, वाणिज्य, कृषि, गृह विज्ञान तथा विधि संकायों की कक्षाओं में प्रवेश के लिए लागू होगें। प्रवेश उन्हीं पाठ्यक्रमों/विषयों में दिया जायेगा जिसकी सम्बद्धता विश्वविद्यालय एवं उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ तथा महामहिम कुलाधिपति महोदय से प्राप्त है और उनका प्राविधान विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली में विद्यमान तथा विश्वविद्यालय से प्रवेश की अनुमति प्राप्त कर ली गयी है।

आवश्यक निर्देश

1. वैश्विक महामारी कोविड–19 को ध्यान में रखते हुये महाविद्यालयों में विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमावली के आधार पर समस्त कक्षाओं में प्रवेश मेरिट के आधार पर किये जायेगें।

2. ऐसे पाठ्यक्रम जिनकी अनापत्ति/सम्बद्धता विभिन्न Bodies द्वारा जारी की जाती है, उनमें प्रवेश उनकी गाइडलाइंस के अनुसार किया जायेगा।

3. सत्र 2022–23 में विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश Admission Monitoring System (प्रवेश अनुश्रवण प्रणाली) के माध्यम से किये जायेंगे, इस सरल प्रणाली के अन्तर्गत अभ्यर्थी पांच चरणों क्रमशः (1) पंजीयन (2) वेब रजिस्ट्रेशन (3) फार्म भरना (4) पाठ्यक्रम चुनना (5) फार्म Offline/Online माध्यम से पूर्ण करके छठे चरण में जिस महाविद्यालय को चुना/चुनना चाहता है। वह वहाँ प्रवेश के लिए रिपोर्ट करेगा। अभ्यर्थी अपनी योग्यतानुसार कितने भी पाठ्यक्रमों का चयन कर सकता है। सम्बद्ध महाविद्यालय प्रवेश प्रक्रिया के लिए स्वतंत्र हैं, परन्तु वह केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को प्रवेश दे सकेगें जो Admission Monitoring System की निर्धारित प्रक्रिया को पूर्ण करेगें। इस सम्बन्ध में सम्बद्ध महाविद्यालयों को जारी दिशा/निर्देश विश्वविद्यालय की बेवसाइट पर उपलब्ध है।

4. महाविद्यालय द्वारा प्रवेश विश्वविद्यालय की वेबसाइट https://rmpssu.org के पोर्टल के माध्यम से पूर्ण की जायेंगी।

5. महाविद्यालय, प्रवेशार्थी के लिए प्रवेश से सम्बन्धित समस्त सूचनायें वेबसाइट पर उपलब्ध है।

6. विश्वविद्यालय द्वारा अभ्यर्थी से स्नातक स्तर पर 200/– रू0 तथा परास्नातक स्तर 300/– रू0 शुल्क वेब रजिस्ट्रेशन के रूप में लिया जायेगा।

सामान्य निर्देश

1. (अ) प्रत्येक महाविद्यालय अपनी विवरण पुस्तिका ''प्रॉस्पेक्टस'' तैयार करायेगा, जिसमें निर्धारित शुल्कों तथा महाविद्यालय सम्बन्धी आवश्यक सूचनाओं का विवरण होगा तथा सभी कक्षाओं के लिए एक ही विवरण पुस्तिका होगी। सभी पाठ्यक्रम इस पुस्तिका में सम्मिलित किये जायेगें तथा विवरण पुस्तिका का अधिकतम मूल्य 250/– रूपये नकद सत्र 2022–23 के लिए रखा जायेगा।

(ब) विवरण पुस्तिका में सत्र 2022–2023 के लिए प्रत्येक कक्षा में निर्धारित सामान्य व आरक्षित सीटों का विवरण प्रकाशित करना अनिवार्य होगा। प्रत्येक कक्षा में शासनादेश के अनुसार 21 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जातियों, 2 प्रतिशत अनुसूचित जनजातियों, 27 प्रतिशत स्थान पिछड़ी जातियों, तथा 4 प्रतिशत स्थान विकलागों के लिए (छात्र के स्वंय से सम्बन्धित वर्ग (कैटेगरी) तथा–श्रवण बाधित, चलन बाधित एवं दृष्टिबाधित के अंतर्गत ही) तथा 10 प्रतिशत ई0डब्ल्यू0एस0 वर्ग के लिए आरक्षित होगें। विकलांगों के लिए जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी का प्रमाण–पत्र ही मान्य होगा। महिला अभ्यर्थियों के लिये प्रत्येक वर्ग में 20 प्रतिशत स्थान सुरक्षित रहेंगें। यदि कश्मीरी छात्र/छात्रा है तो उसे प्राथमिकता दी जायेगी। यदि एस0सी0/एस0टी0/ओ0बी0सी0 वर्ग के अभ्यर्थियों की मेरिट अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के समान अथवा उससे ऊपर आती है उसको प्रवेश अनारक्षित श्रेणी में दिया जायेगा।

(स) प्रत्येक महाविद्यालय को अपने महाविद्यालय की वेवसाइट तैयार करना अनिवार्य होगा जिस पर इच्छुक अभ्यर्थियों को विवरण पुस्तिका उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाये। विवरण पुस्तिका में विश्वविद्यालय की वेवसाइट तथा महाविद्यालय की वेवसाइट का उल्लेख करना आवश्यक होगा। प्रवेश प्रक्रिया हेतु प्रत्येक महाविद्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वह एक कम्प्यूटर आपरेटर को इस कार्य के लिए अधिकृत करें तथा उसका नाम एवं मोबाइल नम्बर विश्वविद्यालय को प्रेषित करें। इसके अतिरिक्त महाविद्यालयों में इण्टरनेट एवं कम्प्यूटर की व्यवस्था आवश्यक है।

(द)यदि कोई विद्यार्थी किसी महाविद्यालय में प्रथम वरीयता में प्रवेश पा जाता है, प्रवेशोपंरात यदि किसी दूसरे महाविद्यालय में प्रवेश पा जाता है और उस महाविद्यालय में प्रवेश लेने का इच्छुक है, तो ऐसी स्थिति में छात्रके द्वारा पूर्व में लिये गये प्रवेश को प्रार्थना पत्र देकर रदद् कराना होगा।

2. (अ) सत्र 2022–23 के लिए सभी संकायों में प्रथम वर्ष /सेमेस्टर में ही प्रवेश दिये जायेगें तथा प्रवेश शुल्क के साथ 300/– रू0 उपाधि शुल्क भी छात्र द्वारा देय होगा।

(ब) एल0एल0एम0 पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु विधि स्नातक सामान्य श्रेणी एवम् अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों द्वारा 55प्रतिशत अंकों एवम् अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों द्वारा 50 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण किया गया हो।

(स) (i) एल0एल0बी0 पंचवर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु किसी भी वर्ग में 10+2(इण्टरमीडिएट) अनारक्षित श्रेणी के छात्रों के लिए 45 प्रतिशत, अन्य पिछडा वर्ग 42 प्रतिशत एवम् अनुसूचित जाति के छात्रों द्वारा 40 प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्ण किया गया हो।

(ii) यदि किसी छात्र द्वारा हाईस्कूल के पश्चात् 03 वर्ष का प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा अथवा इसके समतुल्य कोई और डिप्लोमा किया गया हो, जिसे इण्टरमीडिएट के समकक्ष माना जाये। ऐसे छात्रों को स्नातक एवं बी0ए0एल0एल0बी0 में न्यूनतम अर्हता के समतुल्य माना जायेगा।

(iii) एल0एल0बी0 पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु किसी भी वर्ग में स्नातक अनारक्षित श्रेणी के छात्रों द्वारा 45 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग 42 प्रतिशत एवम् अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों द्वारा 40 प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्ण किया गया हो।

(द) बी0पी0एड0 पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु छात्र द्वारा किसी भी वर्ग में स्नातक 45 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण किया गया हो तथा राज्य स्तरीय खेलकूद प्रमाण–पत्र प्राप्त किया गया हो अथवा बी0पी0ई0एस0 45 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण किया गया हो। प्रवेश हेतु एन0सी0टी0ई0 की भी अन्य शर्तें मान्य होगीं।

(य) एम0ए0 में प्रवेश हेतु छात्रों द्वारा किसी भी विषय के साथ स्नातक सफलतापूर्वक उत्तीर्ण किया गया हो, परन्तु परास्नातक के प्रयोगात्मक एवम् साहित्यिक विषय में प्रवेश हेतु छात्र अथवा छात्रा द्वारा स्नातक स्तर पर वह विषय अन्य विषयों के साथ एक विषय के रूप में पढ़ा गया होना अनिवार्य है।

(र) एम0एस0सी0 (कम्प्यूटर साइंस) में प्रवेश हेतु निम्न विषयों के साथ स्नातक किया जाना अनिवार्य होगा।

PCM/Statistics/Computer Science/I.T./B.E./B.Tech.& BCA उपरोक्त विषयों में स्नातक अनारक्षित एवम् अन्य पिछडा वर्ग के छात्रों द्वारा 50 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण किया गया हो तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों के लिए 5 प्रतिशत अंको की छूट मान्य होगी।

(ल) एम0एस0सी0 (एग्रीकल्चर) ऐसे छात्र/छात्रायें जिन्होंने बी0एस0सी0 (एग्रीकल्चर) में ऑनर्स किया है, वह एम0एस0सी0 (एग्रीकल्चर) के किसी भी विषय में प्रवेश के लिए अर्ह होगें, परन्तु जिन छात्रों द्वारा बी0एस0सी0 (एग्रीकल्चर) किसी विशेष विषय के साथ किया गया हो, वे छात्र उसी विषय के लिए एम0एस0सी0 (एग्रीकल्चर) में आवेदन हेतु अर्ह होगें।

उपरोक्त परिस्थितियों में छात्रों द्वारा न्यूनतम पूर्णांक प्रतिशत 45 प्रतिशत होना चाहिए तथा सम्बन्धित विषय में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य है तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए 5 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी।

(व) एम0कॉम0 में प्रवेश हेतु बी0कॉम0 त्रिवर्षीय उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

(श) सभी संकायों की स्नातक कक्षाओं में प्रथम वर्ष के लिए आवेदन–पत्रों के पंजीकरण की अन्तिम तिथि 30 जून, 2022 होगी। ऐसे अभ्यर्थी जिनका परीक्षाफल रोका गया हो, वह कक्षा में स्थान उपलब्ध होने की दशा में परीक्षाफल घोषित होने के 15 दिन बाद तक प्रवेश ले सकेगें।

- महाविद्यालय खुलने के तिथि :01 जुलाई, 2022
- स्नातक प्रथम वर्ष/प्रथम सेमेस्टर में (सभी संकाय) में पंजीकरण की प्रारम्भ तिथि : 15 जून, 2022
- स्नातक सभी संकाय के प्रथम वर्ष/प्रथम सेमेस्टर में पंजीकरण की अन्तिम तिथि : 30 जून, 2022
- स्नातक प्रथम वर्ष/प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश आरम्भ की तिथि : 05 जुलाई, 2022
- स्नातक प्रथम वर्ष/प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश अन्तिम की तिथि : 15 जुलाई, 2022
- स्नातक प्रथम वर्ष/प्रथम सेमेस्टर कक्षाओं में पठन–पाठन आरम्भ करने की तिथि : 16 जुलाई, 2022
- स्नातकोत्तर एवं विधि (त्रिवर्षीय) प्रथम वर्ष प्रवेश की अन्तिम तिथि : 26 जुलाई, 2022
- स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष के पठन–पाठन प्रारम्भ करने की तिथि : 27 जुलाई, 2022

नोट– सभी तिथियाँ विश्वविद्यालय से समय–समय पर प्राप्त होने वाली निर्देशों के अनुरूप परिवर्तनीय है।

•उक्त तिथियाँ शासनादेश के अधीन होगी। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे समय–समय पर विश्वविद्यालय की वेबसाइट को देखते रहें।

3. (अ) किसी कक्षा में अनुत्तीर्ण छात्र पुनः संस्थागत छात्र के रूप में प्रवेश हेतु वर्जित रहेगें। ये छात्र भूतपूर्व छात्र के रूप में परीक्षा में सम्मिलित हो सकेगें।

(ब) महाविद्यालय के स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं में सम्बन्धित पिछले वर्ष की कक्षाओं में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों को प्रवेश मिलेगा, यदि उनका प्रवेश किसी अन्य नियमों के अन्तर्गत प्रतिबन्धित न हों।

(स) स्नातक एवं स्नातकोत्तर के ऐसे छात्र जिन्होंने स्नातक प्रथम अथवा द्वितीय वर्ष पूर्ण कर लिया है एवं परास्नातक स्तर पर पूर्वार्द्ध उत्तीर्ण कर लिया है, यदि किन्हीं कारणोंवश आगामी वर्ष की परीक्षा व्यक्तिगत

छात्र के रूप में देना चाहते है एवं उनके पास कोई प्रयोगात्मक विषय नही है तथा अन्तराल के नियमों के अर्न्तगत आते है, वे समस्त छात्र व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा में शामिल हो सकते है। (यदि व्यक्तिगत परीक्षायें सम्पन्न करायी जाती है।)

(द) जो छात्र व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में स्नातक व स्नातकोत्तर व्यक्तिगत परीक्षा में सम्मिलित होंगे, उनके लिए परीक्षा प्रणाली व पाठ्यक्रम पूर्ववत रहेगा।

4. नियमानुसार एल0एल0बी0 06 वर्ष, बी0ए0एल0एल0बी0 08 वर्ष, स्नातक कृषि अधिकतम 07 वर्ष, कला, विज्ञान 'एवं वाणिज्य 06 वर्ष परास्नातक अधिकतम 05 में पूर्ण करना अनिवार्य होगा अथवा नई शिक्षा नीति के निर्देशानुसार होगा। अन्तराल को दृष्टिगत रखते हुये प्रवेश का निर्णय महाविद्यालयों के प्राचार्यो द्वारा लिया जायेगा तथा किसी भी छात्र को विश्वविद्यालय से अनुमति प्राप्त करने के लिए नही भेजा जायेगा।

5. प्राचार्य को प्रवेश के मामले में राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़ का विवरण पुस्तिका के अध्याय–19 के नीचे उद्धृत अध्यादेश–2 के अनुसार कर्तव्य और अधिकार होगें।

"Subject to order issued under sub-section(4) of section 28 of the act, the Principal shall be the sole authority to admit or refuse to admit any applicant to any class in his/her college. He shall however, duly and strictly, follow the norms and principles, if any laid down by the University and such other directions as may be given to him from time to time by the University, Provided that the Principal may, at his discretion refuse to admit a candidate even if he is entitled for admission according to norms and principles laid down by the University and shall report all such cases to the admission committee forthwith-"

स्पष्टीकरणः उदाहरणार्थ निम्नलिखित परिस्थितियों में प्रवेश देने से इंकार किया जा सकता है।

1. यदि अभ्यर्थी किसी शिक्षा संस्थान में अनुशासनहीनता के आरोप में दोषी पाया गया हो।

2. यदि अभ्यर्थी किसी भी न्यायालय द्वारा नैतिक अपराध मे दण्डित किया गया हो या शासन द्वारा किसी अपराध में पंजीकृत किया गया हो और न्यायालय में निर्णय के लिए विचाराधीन हो।

6. (अ) स्नातक कक्षाओं में प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए अर्हता निम्न प्रकार होगीः–

1. बी0एस0सी0 (फिजीकल साइंस) के लिए इण्टरमीडिएट गणित या समकक्ष मान्यता प्राप्त परीक्षा में उत्तीर्ण।
2. बी0एस0सी0 (लाइफ साइंस) के लिए इण्टरमीडिएट वॉयोलोजी ग्रुप या इण्टर कृषि परीक्षा में उत्तीर्ण।
3. बी0एस0सी0 (कृषि) के लिए कला को छोड़कर इण्टरमीडिएट के किसी भी ग्रुप की परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
4. बी0एस0सी0 (गृह विज्ञान) में प्रवेश हेतु इण्टरमीडिएट कला, विज्ञान एवं वाणिज्य में से किसी भी ग्रुप की परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
5. बी0ए0/बी0कॉम0 के लिए इण्टरमीडिएट के किसी भी ग्रुप की परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

6. प्रथम वर्ष/प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु यदि छात्र/छात्रा ने वाणिज्य अथवा कला वर्ग से इण्टरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की है तो उसे अपने वर्ग (वाणिज्य व कला वर्ग) में प्रवेश हेतु पांच अंक का **Weightage** दिया जायेगा।

7. विश्वविद्यालय के सम्बन्धित महाविद्यालयों में स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश मैरिट के आधार पर किया जायेगा।

(ब) सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सैकेडंरी ऐजुकेशन द्वारा निम्न व्यावसायिक शैक्षिक अर्हता संरचना पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशानुसार स्नातक स्तर पर विषय के रूप में मान्यता प्रदान की गई, कृपया ऐसे छात्रों को प्रवेश दिया जाये।

(List of Career Oriented Vocational Courses offered by the CBSE at Senior Secondary Level along with revised Scheme of Studies)

(परिशिष्ट–1)

(स) कृषि/विज्ञान संकाय की स्नातकोत्तर कक्षाओं के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए बी0एस0सी0 (कृषि)/बी0एस0सी0परीक्षा में उत्तीर्ण किन्तु स्नातक परीक्षा में 45 प्रतिशत अंक तथा सम्बन्धित विषय में 50 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य है, किन्तु अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों को 05 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी। उ0प्र0 बोर्ड/समकक्ष बोर्ड द्वारा यदि ग्रेड दिया जाता है तो ग्रेड प्वाईट/मार्क्स दोनों प्रवेश अर्हता के लिये मान्य होगें।

(स) स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रथम वर्ष में प्रवेश निम्न प्रकार किये जायेगें:

(i) उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमाओं में स्थित जनपदों के इण्टरमीडियट कालेजों से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को 70 प्रतिशत स्थानों पर प्रवेश दिया जायेगा।

(ii) शेष 30 प्रतिशत स्थानों पर अन्य संस्थाओं से आने वाले छात्रों को प्रवेश दिया जायेगा, जिनमें 05 प्रतिशत विदेशी छात्र/छात्रा भी सम्मिलित है, यदि उनकी योग्यतांक ऊपर के भाग (1) के अभ्यर्थियों से अधिक हो।

(iii) शासनादेश संख्या जी0आई0 35/सत्तर–1–2000 दिनांक 23 सितम्बर, 2000 के अर्न्तगत कश्मीर के विस्थापित छात्र–छात्राओं को दो स्थानों में प्रवेश दिया जायेगा।

(iv) क्रमांक–ii क्रमांक–iii में रिक्त स्थानों की पूर्ति क्रमांक–i के अभ्यर्थियों से योग्यता क्रमानुसार की जायेगी।

(v) विदेशी छात्रों को तभी प्रवेश दिया जायेगा, जब उनके पास स्टूडेण्ट बीजा हो तथा भारत सरकार के गृह मंत्रालय एवं प्रदेशीय सरकार के विदेशी रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा स्वीकृत हो तथा कक्षा में प्रवेश की न्यूनतम अर्हता रखते हो। ऐसे समस्त विदेशी छात्रों को जिन्हें सम्बन्धित दूतावास द्वारा संस्तुत किया गया हो, विश्वविद्यालय की एक समिति द्वारा स्क्रीनिंग करने के उपरान्त कुलसचिव के हस्ताक्षरयुक्त अनुमति पत्र दिये जाने पर ही महाविद्यालयों द्वारा प्रवेश दिया जायेगा। समिति के निम्नलिखित सदस्य होगें:–

(i) अधिष्ठाता छात्र कल्याण।

(ii) प्रत्येक जिले का वरिष्ठतम् प्राचार्य–चक्रानुसार।

(iii) जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कालेज, अलीगढ के प्राचार्य द्वारा नामित मेडिसन विभाग का वरिष्ठ प्राध्यापक।

नोटः– कोई भी महाविद्यालय एवं स्ववित्त पोषित महाविद्यालय बिना विश्वविद्यालय की पूर्व अनुमति के विदेशी छात्रों को प्रवेश नहीं देगा।

(vi)समय–समय पर दिये गये शासनादेशों के अनुपालन में किसी भी महाविद्यालय में स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं में सांध्यकालीन कक्षाओं के संचालन की अनुमति नही दी गई है। इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जायें।

(vii) समिति का यह भी निर्णय है कि शासन द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चत किया जाये।

शैक्षिक अंकों की गणना :–

7. (क) स्नातक कक्षायें:–

1. हाई स्कूल या समकक्ष परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंकों का 50 प्रतिशत अंकों /ग्रेड दोनों।

2. इण्टरमीडिएट परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंकों का 100 प्रतिशत अंकों /ग्रेड दोनो।

(ख) स्नातकोत्तर कक्षायें:–

1. इण्टरमीडिएट परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंकों /ग्रेड का 50 प्रतिशत।

2. स्नातक परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंकों का 100 प्रतिशत।

अतिरिक्त अंक (अधिकतम 17 अंक)

शैक्षिक योग्यता अंको के साथ निम्नलिखित अंकों, जहाँ अनुमन्य हों, को जोडकर योग्यता सूची बनेगी, लेकिन प्रतिबन्ध यह है कि अतिरिक्त अंकों का कुल योग 17 अंकों से अधिक नहीं होगा।

(क) स्नातक कक्षायें:

1. उत्तर क्षेत्रीय स्तर की टीम के सदस्य के रूप में राज्य स्तरीय राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए .

(क) प्रथम विजेता होने के लिए – 5 अंक।

(ख) द्वितीय विजेता होने के लिए – 4 अंक।

(ग) तृतीय विजेता होने के लिए – 3 अंक।

(घ) प्रतिभाग करने के लिए – 2 अंक।

2. एन0सी0सी0''सी'' सर्टीफिकेट/जी–2 उत्तीर्ण केडिटों को 8 अंक

अथवा

एन0सी0सी0''बी'' सर्टीफिकेट/जी–1 उत्तीर्ण केडिटों को 6 अंक

अथवा

एन0सी0सी0 केडिट जिन्होनें 240 घण्टे कार्य किया है, 2 कैम्पों में भाग लिया है लेकिन कोई परीक्षा उत्तीर्ण नही की है। 3 अंक

3. स्वतंत्रता सेनानी पुत्र/पुत्री (अविवाहित अथवा पौत्र/पौत्री) 5 अंक

4. राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वंय सेवकों को 5 अंक

5. बी0कॉम0 (प्रथम वर्ष) में प्रवेश के लिए योग्यता अंक की गणना करते समय उन प्रवेशार्थियों को 05 अतिरिक्त अंक दिये जायें, जिन्होनें इण्टरमीडिएट या 10+2 की परीक्षा वाणिज्य (गैर वोकेशनल) से उत्तीर्ण की हों।

(ख) स्नातकोत्तर कक्षायें:–

1. विश्वविद्यालय की टीम के सदस्य के रूप में राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए:–

(क) प्रतियोगिता में प्रथम विजेता होने के लिए – 8 अंक।

(ख) प्रतियोगिता में द्वितीय विजेता होने के लिए – 7 अंक।

(ग) प्रतियोगिता में तृतीय विजेता होने के लिए – 6 अंक।

(घ) प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के लिए — 3 अंक।

2. विश्वविद्यालयकी टीम के सदस्य के रूप में अन्तरविश्वविद्यालय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिएः—

(क) प्रतियोगिता में प्रथम विजेता होने के लिए — 5 अंक।

(ख) प्रतियोगिता में द्वितीय विजेता होने के लिए — 4 अंक।

(ग) प्रतियोगिता में तृतीय विजेता होने के लिए — 3 अंक।

(घ) प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के लिए — 2 अंक।

3. एन0सी0सी0''सी'' सर्टीफिकेट/जी—2 उत्तीर्ण केडिटों को 8 अंक

अथवा

एन0सी0सी0''बी'' सर्टीफिकेट/जी—1 प्रमाण पत्र धारक केडिटों को 6 अंक

अथवा

एन0सी0सी0क्रेडिट जिन्होनें 240 घण्टे कार्य किया है और 2 कैम्पों में भाग लिया है लेकिन कोई परीक्षा उत्तीर्ण नही की है। 3 अंक

4. एन0एस0एस0 में 240 घण्टे का कार्य तथा कम से कम एक कैम्प पूरा करने के लिए 5 अंक

5. महाविद्यालय स्तर पर रोवर्स रेंजर्स के सदस्य को जिसने एक रैली में विश्वविद्यालय स्तर पर भाग लिया हो। 3 अंक

अथवा

महाविद्यालय स्तर पर रोवर्स रेंजर्स के सदस्य को जिसने अन्तरविश्वविद्यालय रैली में भाग लिया हों।

(क) प्रथम विजेता होने के लिए — 5 अंक।

(ख) द्वितीय विजेता होने के लिए — 4 अंक।

(ग) तृतीय विजेता होने के लिए — 3 अंक।

(घ) प्रतिभाग करने के लिए — 2 अंक।

नोटः—

उपर्युक्त 1 से 5 के सन्दर्भ में शासन के खेलकूद अधिकारी द्वारा दिया हुआ प्रमाण—पत्र अथवा विश्वविद्यालय खेलकूद अधिकारी, स्पोटर्स काउन्सिल कमेटी के अध्यक्ष द्वारा प्रति हस्ताक्षरित/एन0सी0सी0 अधिकारी/एन0एस0एस0 समन्वयक द्वारा निर्गत किया हुआ प्रमाण—पत्र/रोवर्स के लिए समन्वयक (रोवर्स रेंजर्स) द्वारा निर्गत प्रमाण—पत्र हीमान्य होगा।

(ख) सभी कक्षायें:

1. राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय और उससे सम्बद्ध महाविद्यालयों में सेवारत एवं स्ववित्त पोषित संस्थान के विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित अनुबन्धित प्रवक्ता तथा अवकाश प्राप्त केवल

स्थायी/अध्यापकों एवं कर्मचारियों के पति/पत्नी/पुत्र/पुत्री तथा कृषि संकाय में स्थायी परियोजनाओं के स्थायी कर्मचारियां के पति/पत्नी/पुत्र/पुत्री।

17 अंक

2. भारतीय सेना में सेवारत अथवा अवकाश प्राप्त अधिकारियों या अन्य रैंक के केवल पति–पत्नी पुत्र–पुत्री (अविवाहित)।

10 अंक

3. भारतीय सेना/पैरा मिलट्री फोर्स / अर्द्ध सैनिक बल (पुलिस/पी0एस0सी0) मे कार्य करते हुये विजय के शहीदों के पुत्र/पुत्री/विधवाओं को प्रवेश में।

17 अंक

टिप्पणीः

1. प्रत्येक अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र में शैक्षणिक एवं अतिरिक्त अनुमन्य अंकों की प्रमाणिकता की घोषणा स्वंय करेगा। यदि वह यह घोषणा गलत पाई गई तो उसकी पात्रता निरस्त कर दी जायेगी।

2. प्रवेश हेतु वरीयता सूची के घोषित होने के बाद अनुमन्य अंकों के प्रमाण–पत्र स्वीकार नहीं किये जायेगें। अन्य कोई अभिलेख बाद में विचारार्थ स्वीकार नही किया जायेगा।

नोट–

1. किसी व्यक्ति की सेवानिवृत्त से पूर्व मुत्यु होने की दशा में इस नियम के अर्न्तगत उसको उस समय तक सेवारत समझा जाये, तब तक सेवा में रहने का अधिकारी था।

2. उपर्युक्त ''1'' से ''3'' के सन्दर्भ में शासन के खेलकूद अधिकारी द्वारा दिया हुआ प्रमाण–पत्र अथवा विश्वविद्यालय खेलकूद अधिकारी, स्पोटर्स काउन्सिल कमेटी के अध्यक्ष द्वारा प्रति हस्ताक्षरित/एन0सी0सी0 अधिकारी/एन0एस0एस0 अधिकारियों द्वारा निर्गत किया हुआ प्रमाण–पत्र ही मान्य होगा।

8. (अ) कृषि विज्ञान संकाय की स्नातकोत्तर कक्षाओं में 5 प्रतिशत स्थान ऐसे अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित होगें, जो सेवारत हो और जिसकी कम से कम 5 वर्ष की नियमित स्थायी सेवा हो, यदि उनका प्रवेश अन्य नियमों के अर्न्तगत प्रतिबन्धित नही हो। ऐसे अभ्यर्थी को नियमित सेवा का प्रमाण पत्र अपने नियोक्ता से लेकर लगाना होगा।

(ब) सामान्यतः स्नातक कक्षा के एक सैक्शन में 60 छात्रों को महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा प्रवेश दिया जायेगा।उसके आगे विशेष परिस्थितियों में 10 सीटें अधिक प्रदान करने का अधिकार कुलपति को होगा, लेकिन इसके लिए प्राचार्य अतिरिक्त स्टाफ की मांग नही करेगें। कक्षा में प्रवेश की कुल संख्या स्वीकृति सैक्शनों की संख्या पर आधारित होगी एवं स्नाताकोत्तर कक्षा में प्रयोगात्मक विषय में 60 छात्र एवं गैर प्रयोगात्मक विषय में 80 छात्रों के प्रवेश का अधिकार होगा। उपरोक्त के सम्बन्ध में कुलपति द्वारा गठित समितिद्वारा निर्णय लिया जायेगा।

(स) विशेष परिस्थितियों में कुलपति को प्रवेश के लिए अनुमति प्रदान करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

(द) संस्थागत छात्र को किसी भी ऐसे विषय को लेने को अनुमति नहीं दी जायेगी, जिसकी सम्बन्धित महाविद्यालयों में पढाये जाने की व्यवस्था नही है अथवा जिसकी विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्रदान नही की गई है।

9 (अ) प्रवेश हेतु नियमों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। नियमों के पालन में किसी भी समस्या अथवा कठिनाई का अनुभव होने पर प्राचार्य कुलपति को लिखेगें और कुलपति का निर्णय अन्तिम होगा।

(ब) प्राचार्य प्रवेश के इच्छुक सभी अभ्यर्थियों के आवेदन पत्रों पर विचार करके नियमानुसार निर्णय लेगें और किसी भी छात्र के प्रार्थना पत्र को विश्वविद्यालय को अग्रसारित नही करेगें।

(स) प्रविष्ट छात्र को कक्षा में उपस्थित रहना अनिवार्य होगा। 15 कार्य दिवस तक निरन्तर अनुपस्थित रहने पर प्राचार्य द्वारा प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा। इसका उत्तरदायित्व छात्र का होगा।

(द) अभ्यर्थी का यह दायित्व होगा कि वह महाविद्यालय में अपने प्रवेश के सम्बन्ध में निरन्तर सम्पर्क करता रहे और वेवसाइट पर सूचनाओं/सूचियों की अद्यतन ''अप–टूडेट'' जानकारी रखें, ताकि निर्धारित अवधि के भीतर प्रवेश ले सकें।

प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थी का यह भी दायित्व होगा कि वह ऊपर दिये गये नियमों और विश्वविद्यालय के अन्य सम्बन्धित नियमों को भली भाँति पढ़ लें, उनका यह भी दायित्व होगा कि सुनिश्चित कर लें कि उनका प्रवेश किसी दृष्टिकोण से नियमों के प्रतिकूल तो नही हुआ, उसका यह भी दायित्व होगा कि उन्होने प्रवेश हेतु असत्य अथवा भ्रामक अंक सूची के माध्यम से तो प्रवेश लेने की कोशिश नही की है। नियमों के प्रतिकूल किये गये प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा निरस्त किये जाने की दशा में उत्तरदायित्व सर्वथा अभ्यर्थी का ही होगा।

10. आवेदन यदि किसी अल्पसंख्यक, आरक्षित जाति या किसी विशेष आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो उनके पास दावा किये गए लाभ का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।

11. यदि आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं और आपने इंटर की परीक्षा यू0पी0 बोर्ड से उतीर्ण की हैतो मूल निवास प्रमाण पत्र भरने की बाध्यता नहीं है। किसी अन्य बोर्ड /प्रांत द्वारा इंटर परीक्षा उत्तीर्ण होने की स्थिति में यदि उत्तर प्रदेश में निवास प्रदर्शित किया हो तो प्रवेश प्रक्रिया के समय मूल निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना, अनिवार्य है।

12. नई शिक्षा नीति–2020 के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन से प्राप्त दिशा निर्देशों को समायोजित कर लिया जायेगा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 को स्नातक स्तर पर सत्र 2021–22 से लागू करने सम्बन्धी दिशा निर्देश

1. पाठ्यक्रम / कार्यक्रम लागू करने की समय–सारिणी

1.1 : राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रकोष्ठ द्वारा निर्देशित यह नियमावली सत्र 2021–22 में तीन विषयों वाले स्नातक पाठ्यक्रमों बी0ए0, बी०एससी, बी० कॉम० में प्रवेशित विद्यार्थियों पर सी0बी0सी0एस0 आधारित नवीन पाठ्यक्रम के साथ लागू होगी तथा 2021–22 में प्रवेशित स्नातक/परास्नातक पाठ्यक्रमों में उपाधि प्राप्त होने तक यह नियमावली लागू नहीं होगी।

1.2 : बी0ए0, बी०एससी0, बी0कॉम0 एकल विषय स्नातक पाठ्यक्रमों तथा पीएच0डी0 कार्यक्रम में सी0बी0सी0एस0 आधारित यह नवीन व्यवस्था 2022–23 से लागू होगी।

1.3 : राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अन्तर्गत की जा रही यह व्यवस्था चिकित्सा, तकनीकी शिक्षा (बी०टेक0, एम0सी0ए0 आदि) विधि (बीए0 एलएल0बी0, एलएल0बी0 इत्यादि) एवं बी०एड० में उनकी नियामक संस्थाओं द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम एवं व्यवस्था तैयार करने के बाद लागू की जायेगी।

2. कार्यक्रम एवं संकाय

2.1 : विद्यार्थी को राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 का पूर्ण अनुपालन करने पर अपने संकाय में एक वर्ष में सर्टीफिकेट, दो वर्ष में डिप्लोमा, तीन वर्ष में स्नातक डिग्री, चार वर्ष में शोध सहित स्नातक डिग्री, पाँच वर्ष की स्नातकोत्तर, डिग्री इन्टीग्रेटिड छह वर्ष की पी0जी0डी0आर0 तथा शोध उपाधि मिलेगी यथा बी०ए०, बी०एससी, बी0 कॉम0, बी0एड0, बी0बी0ए0, बी०एल0ई0, एम0ए0, एम0एससी0, एम0कॉम0, एल0एल0बी0, पीएच0डी0 इत्यादि।

2.2 : विद्यार्थियों को बहु विषयकता उपलब्ध कराने के लिए संकायों में विषयों के वर्गीकरण एवं विषय कोडिंग की व्यवस्था शासनादेश–संख्या 1267/सत्तर–3–2021–16(26)/2011 दिनांक 15–06–2021 के अनुसार होगी यथा 1. विज्ञान संकाय, 2. वाणिज्य संकाय, 3. भाषा संकाय, 4. कला संकाय, मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान संकाय, 5. ग्रामीण अध्ययन संकाय, 6. ललित कला एवं प्रदर्शन कला संकाय, 7. कृषि संकाय, 8. विधि संकाय, 9. शिक्षक शिक्षा संकाय, 10. प्रबन्धन संकाय, 11. वोकेशनल स्टडीज संकाय।
नोटः भाषा संकाय, ग्रामीण अध्ययन संकाय, ललित कला एवं प्रदर्शन कला संकाय को बहुविषयकता के लिए अलग संकाय माना जायेगा किन्तु उन्हें डिग्री कला संकाय (बी०ए०) की मिलेगी।
2.3ः संकाय एक ही प्रवृति के विषयों का एक समूह है यथा कला संकाय, विज्ञान संकाय, वाणिज्य संकाय एवं विधि संकाय इत्यादि । विद्यार्थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप जिस संकाय से दो विषयों का चयन करेगा वह उसके मुख्य विषय (Major Subjects) कहलायेंगे तथा वह विद्यार्थी की Own Faculty या निजी संकाय होगी ।
2.4ः एक विषय एक ही संकाय में सूचित होगा।
2.6ः एक विषय के विभिन्न थ्योरी/ प्रेक्टिकल के पेपर को पेपर/प्रश्नपत्र कहा जायेगा एवं दोनों के कोड अलग–अलग होंगे ।

3. प्रवेश प्रक्रिया

3.1 विद्यार्थी स्नातक में प्रवेश के लिए विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन कराएँगे तथा डब्ल्यू0आर0एन0 नम्बर अंकित किये हुये रजिस्ट्रेशन के प्रपत्र को विश्वविद्यालय के संस्थान/विभाग, महाविद्यालय में उपलब्ध सीटों तथा संसाधनों के आधार पर प्रवेश ले सकेंगे।
3.2 विद्यार्थी द्वारा चुनाव किये गये प्रथम दो विषयो के आधार पर प्रदान की जाने वाली डिग्री यथा बी०ए०, बी०एससी0 अथवा बी0 कॉम0 में सीटों की उपलब्धता के आधार पर तथा विद्यार्थी के द्वारा आवश्यक अर्हता पूर्ण करने पर विद्यार्थी को विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालय द्वारा सम्बन्धित संकाय में प्रवेश दिया जायेगा।
3.3 प्रवेश हेतु अतिरिक्त अंकों की व्यवस्था डॉ० भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा की प्रवेश समिति की बैठक दिनांक 17–06–2021 में लिये गये निर्णय के अनुसार होगी जब तक कि राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़ की प्रवेश समिति की बैठक में उक्त के सम्बन्ध में निर्णय नहीं हो जाता।

4. विषयों की चयन व्यवस्था –

4.1 विद्यार्थी को स्नातक में प्रवेश के समय सर्वप्रथम विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में एक संकाय ;कला, विज्ञान, वाणिज्य आदि का चुनाव करना होगा और तत्पश्चात् उसे उस संकाय के दो मुख्य मेजर विषयों का चुनाव करना होगा, जिसका आवंटन महाविद्यालय में मैरिट, उपलब्ध सीट की संख्या व संसाधनों पर निर्भर करेगा । यह संकाय विद्यार्थी का अपना संकाय (Own Faculty) कहलायेगा, जिसमें वह तीन वर्ष प्रथम से छठे सेमेस्टर तक अथवा पाँच वर्ष स्नातक व परास्नातक तक अध्ययन कर सकेगा।
4.2 इसके उपरान्त विद्यार्थी एक और मुख्य विषय का चुनाव करेगा जो उसके अपने संकाय (Own Faculty) अथवा दूसरे संकाय (Other Faculty) से हो सकता है। इस तरह विद्यार्थी को कुल तीन मुख्य विषयों का अध्ययन करना होगा, जिसमें से दो मुख्य विषय उसके चूने हुए संकाय के होंगे तथा तीसरा मुख्य विषय वह अपने संकाय अथवा प्रवेशित महाविद्यालय में उपलब्ध दूसरे संकाय से ले सकता है।

5. माइनर इलेक्टिव पेपर का चुनाव

5.1 बहु विषयकता सुनिश्चित करने के लिये स्नातक स्तर पर तीन मुख्य विषयों के अतिरिक्त विद्यार्थी को एक माइनर इलेक्टिव पेपर का अध्ययन करना होगा । इस पेपर का चुनाव छात्र अपने संकाय के विषयों में से अथवा दूसरे संकायों के विषयों में से कर सकते हैं। इसके लिये उसे किसी पूर्व पात्रता (pre-requisite) की आवश्यकता नहीं होगी।
5.2 तीसरे मुख्य (मेजर) विषय तथा माइनर इलैक्टिव पेपर का चयन छात्र को इस प्रकार करना होगा कि इसमें से कोई एक अनिवार्यतः अपने संकाय के अतिरिक्त महाविद्यालय में उपलब्ध किसी अन्य संकाय से हो। स्नातक के विद्यार्थी को प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में एक–एक माइनर पेपर का अध्ययन करना होगा।
5.3 कोई विद्यार्थी एक माइनर इलेक्टिव पेपर स्नातक प्रथम वर्ष के प्रथम अथवा द्वितीय सेमेस्टर में तथा दूसरा माइनर इलेक्टिव पेपर द्वितीय वर्ष के तृतीय अथवा चतुर्थ सेमेस्टर में ले सकता है, अर्थात विद्यार्थी अपनी सुविधा से सम अथवा विषम सेमेस्टर में उपलब्ध माइनर इलेक्टिव पेपर का चुनाव कर सकता है।

5.4 माइनर इलेक्टिव पेपर का चुनाव/आवंटन, संस्थान/ महाविद्यालय में संचालित विषयों के पेपर में से किया जायेगा। चुने हुए माइनर पेपर की कक्षायें फैकल्टी में संचालित उसी कोर्स की कक्षाओं के साथ ही होगी तथा उराकी परीक्षा भी उसी के साथ होगी।

5.5 एन0सी0सी0 एक लघु–वैकल्पिक विषय, माईनर इलेक्टिव

5.5.1. लघु–वैकल्पिक (Minor Elective) पेपर के रूप में एन0सी0 सी0 को भी सम्मिलित किया गया है । यह पेपर 12 क्रेडिट का होगा तथा प्रथम एवं द्वितीय वर्षों (प्रथम से लेकर चतुर्थ सेमेस्टर तक) में पढ़ाया जायेगा। (शासनादेश सं० 1815/सत्तर–3–2021–16(26)/2011 दिनांक 09–08–2021)

5.5.2. एन0सी0 सी0 लघु वैकल्पिक पेपर प्रारम्भ में केवल एन0सी0सी0 कैडेटों के लिये उपलब्ध होगा परन्तु कालांतर में संसाधन एवं आवश्यकताओं को पूर्ण कर सभी छात्रों के लिये उपलब्ध कराया जायेगा तथा तदनुसार पाठ्यक्रम में आवश्यक संशोधन एवं अनुमोदन के उपरान्त लागू किया जायेगा।

6. कौशल–विकास/रोजगारपरक (Skill Development / Vocational) पाठ्यक्रमों का संचालन एवं चुनाव किये जाने सम्बन्धी दिशा निर्देश –

रोजगारपरक पाठ्यक्रमों को उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्र एवं छात्राओं को अध्ययन हेतु उपलब्ध कराये जाने हेतु शासनादेश संख्या–1969/सत्तर–3–2021 दिनांक 18–08–2021 के अनुपालन में निम्न व्यवस्था लागू होगी –

6.1 पाठ्यक्रम : विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय रोजगार परक विषयों / पेपर के पाठ्यक्रम तैयार करेंगे, जिन्हें विश्वविद्यालयकी पाठ्यक्रम समिति, विद्या परिषद एवं कार्यपरिषद इत्यादि से नियमानुसार अनुमोदित कराया जायेगा ।

6.2 पाठ्यक्रम स्किल पार्टनर / स्किल डेवलपमेन्ट कॉउसिंल आदि के सहयोग से यू0जी0सी0/एन०एस०क्यू०एफ0 (NSQF : National Skill Qualification Framework) आदि की गाइडलाइन्स के अनुसार बनाया जायेगा ताकि छात्रों के प्लेसमेण्ट/इन्टर्नशिप में सुविधा मिल सके।

6.3 पाठ्यक्रम के प्रकार : पाठ्यक्रम दो प्रकार के हो सकते हैं जिनका चुनाव विद्यार्थी अपनी पसन्द एवं महाविद्यालय में उपलब्धता के आधार पर कर सकेगा।

Individual nature : एक सेमेस्टर में पूर्ण होने वाले पाठ्यक्रम।

Progressive nature : एक ही पाठयक्रम जिसकी विशेषज्ञता प्रत्येक सेमेस्टर के साथ बढ़ती जायेगी, परन्तु किसी भी सेमेस्टर में छोडने पर वह पूर्ण हो सकेगा।

6.4 विभिन्न विषयों में विभागाध्यक्ष/शिक्षक द्वारा तैयार पाठ्यक्रमों में सामान्य/थ्यौरी एवं स्किल / ट्रैनिंग/ इन्टर्नशिप/लैब का अनुपालन 40:60 होगा तथा ऐसे पाठ्यक्रमों के लिये स्किल पार्टनर के साथ एम0ओ0यू0 की व्यवस्था विश्वविद्यालय/ कॉलेज प्रशासन करेगा।

6.5 सामान्य/थ्यौरी पाठ्यक्रम का एक क्रेडिट–15 घंटों का तथा स्किल का एक क्रेडिट –30 घंटों का होगा अर्थात 3 क्रेडिट के पाठयक्रम में 15 घंटे की थ्योरी 1 क्रेडिट तथा 60 घंटे की ट्रेनिंग/ इन्टर्नशिप/लैब 2 क्रेडिट होगी । प्रत्येक विद्यार्थी को प्रथम दो वर्षों (चार सेमेस्टर्स) के प्रत्येक सेमेस्टर में 3 क्रेडिट ($3 \times 4 = 12$ केडिट के कुल चार पाठ्यक्रम का एक रोजगारपरक / कौशल विकास पाठ्यक्रम (Vocational / Skill Development) पूर्ण करना होगा।

6.6 विद्यार्थी द्वारा रोजगारपरक/कौशल विकास पाठ्यक्रम के चुनाव के समय महाविद्यालय में वह कार्यक्रम उपलब्ध न होने जैसी स्थिति में अपने प्रवेश के पश्चात् (UGC, SWAYAM, MOOCs etc-) पोर्टल पर उपलब्ध रोजगारपरक ऑनलाइन पाठ्यक्रम चुन सकते हैं । विद्यार्थी इस रोजगारपरक पाठयक्रम के सफलातपर्वक पूर्ण करने के पश्चात अर्जित किये गये क्रेडिट के सर्टिफिकेट को विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय में जमा कराएंगे जिससे वह उनके परीक्षा परिणाम में यथास्थान जोड़ा जा सके।

7. समझौता ज्ञापन (MOU) एवं सीट निर्धारण –

7.1 उच्च शिक्षा विभाग द्वारा राज्य स्तर पर सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के साथ किये गये समझौता ज्ञापन (MOU) के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या–602/सत्तर–3–2021–08(35)/ 2020 दिनांक 22–02–2021 के क्रम में विश्वविद्यालय एवं कॉलेज द्वारा स्थानीय स्तर पर समझौता ज्ञापन (MoU) किया गया है।

अनिवार्य सह पाठ्यक्रम (Co-Curricular)

8.1 स्नातक स्तर के प्रत्येक विद्यार्थी को तीन वर्ष (छ सेमेस्टर्स) के प्रत्येक सेमेस्टर में एक सह–पाठ्यक्रम 40 प्रतिशत अंकों के साथ अनिवार्य रूप से उत्तीर्ण करना होगा। विद्यार्थी की ग्रेड शीट पर इनके प्राप्तांकों पर आधारित ग्रेड तो अंकित होंगे, परन्तु उन्हें सी0जी0पी0ए0 की गणना में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। पाठ्यक्रम निम्नवत् हैं :

प्रथम सेमेस्टर : भोजन, पोषण और स्वच्छता (Food, Nutrition and Hygiene)

द्वितीय सेमेस्टर : प्राथमिक चिकित्सा और स्वास्थ्य (First Aid and Health)

तृतीय सेमेस्टर : मानव मूल्य और पर्यावरण अध्ययन (Human Values and Environmental Studies)

चतुर्थ सेमेस्टर : शारीरिक शिक्षा और योग (Physical Education and Yoga)

पंचम सेमेस्टर : विश्लेषणात्मक योग्यता और डिजिटल जागरूकता (Analytic Ability and Digital Awareness)

8.2 स्नातक स्तर के अनिवार्य सह–पाठ्यक्रमों के अध्ययन–अध्यापन के लिए शैक्षिक संसाधनों की व्यवस्था विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय द्वारा की जायेगी।

शोध परियोजनाः

9.1 स्नातक / स्नातकोत्तर / पी0जी0जी0डी0आर0 स्तर पर विद्यार्थी को पांचवे से ग्यारहवें सेमेस्टर तक प्रत्येक सेमेस्टर में एक शोध परियोजना करनी होगी। विद्यार्थी को तीसरे वर्ष में लघु शोध परियोजना तथा चतुर्थ व पंचम वर्ष में वृहद शोध परियोजना करनी होगी। पी0जी0डी0आर0 में शोध परियोजना का स्वरूप विश्वविद्यालय अपने प्री–पीएच0 डी0 कोर्स वर्क के अनुसार बाद में निर्धारित करेगा।

9.2 विद्यार्थी द्वारा चुने गए तीसरे वर्ष के दो मुख्य विषयों में से किसी एक विषय एवं चतुर्थ, पंचम, षष्ठम वर्ष के मुख्य विषय से सम्बन्धित शोध परियोजना करनी होगी। यह शोध परियोजना इंटरडिस्प्लनरी भी हो सकती है । यह शोध परियोजना इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग/इंटर्नशिप/सर्वे वर्क इत्यादि के रूप में भी हो सकती है।

9.3 शोध परियोजना एक शिक्षक सुपरवाइजर के निर्देशन में की जाएगी। एक अन्य को–सुपरवाइजर किसी उद्योग, कंपनी, तकनीकी संस्थान, शोध संस्थान से लिया जा सकता है। विद्यार्थी वर्ष के अंत में दोनों सेमेस्टर में की गई शोध परियोजना का संयुक्त प्रबंध जमा करेगा, जिसका मूल्यांकन वर्ष के अंत में सुपरवाइजर एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामित बाह्य परीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से 100 अंक में से किया जाएगा।

9.4 स्नातक स्तर एवं पी0जी0डी0आर0 के विद्यार्थी की ग्रेड शीट पर शोध परियोजना के प्राप्तांकों पर आधारित ग्रेड तो अकित होंगे परन्तु उन्हें सी0जी0पी0ए0 की गणना में शामिल नहीं किया जायेगा।

9.5 स्नातक शोध सहित एवं स्नातकोत्तर के विद्यार्थी को प्रत्येक सेमेस्टर के चार क्रेडिट की शोध परियोजना करनी होगी। शोध परियोजना के प्राप्तांकों पर आधारित ग्रेड अंकित होंगे तथा उन्हें सी0जी0पी0ए0 की गणना में भी सम्मिलित किया जायेगा।

10. कक्षाओं हेतु समय–सारिणी :

10.1 सभी महाविद्यालय / शिक्षण संस्थान प्रवेश प्रारम्भ होने से पूर्व अपनी समय–सारणी (Time Table) इस प्रकार तैयार कर लें जिससे छात्र प्रवेश के समय अन्य संकाय के उन विषयों का चुनाव कर सकें जिनकी कक्षाएं अलग समय पर संचालित होती हैं तथा उनकी कक्षाओं के समय से ओवरलैपिंग न हो।

10.2 कॉलेज समय–सारणी में रोजगारपरक पाठ्यक्रमों की थ्यौरी को अथवा शिक्षण कार्य को यथा सम्भव आरम्भ (प्रातः) अथवा अंत (सांय) में रखा जा सकता है । ताकि सभी विषयों के विद्यार्थी सुगमता से इसका लाभ उठा सकते हैं । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण, इन्टर्नशिप आदि को अवकाश के समय अथवा कॉलेज समय–सारिणी के पश्चात् करायी जा सकती है। अथवा इसके लिये सप्ताह में एक दिन निर्धारित किया जा सकता है।

11. डिग्री का संकाय एवं पूर्ण करने की अवधि/ पाठ्यक्रम की उत्तीर्णता आगामी सेमेस्टर में प्रवेशः

11.1 विद्यार्थी के लिए Certicficate in Faculty का Course Module अर्थात् प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर को सफलतापूर्वक पूर्ण करने की अधिकतम अवधि 04 वर्ष निर्धारित है । उक्त अवधि में विद्यार्थियों को यह Course Module आवश्यक क्रेडिट प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर में सम्मिलित रूप से न्यूनतम 46 क्रेडिट के साथ पूर्ण करना आवश्यक होगा, उसके पश्चात् विद्यार्थी अगले (Course Module अर्थात् Diloma in Faculty में प्रवेश हेतु योग्यताधारित कर सकेगा।

11.2 विद्यार्थी के लिए DiplomainFaculty का Course Module अर्थात् तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर को सफलतापूर्वक पूर्ण करने की अधिकतम अवधि 03 वर्ष (CerficiateinFaculty पूर्ण करने के उपरान्त 03 वर्ष) निर्धारित है। इस अवधि में विद्यार्थी को यह Course Module आवश्यक क्रेडिट (ततीय और चतुर्थ सेमेस्टर में सम्मिलित रूप से 46 क्रेडिट) के साथ पूर्ण करना आवश्यक होगा। इसके पश्चात् ही विद्यार्थी अगले – अगले Course Module अर्थात् BachelorinFaculty में प्रवेश हेतु योग्यता धारित कर सकेगा।

11.3 विद्यार्थी के लिऐ Bachelor in Faculty का Course Module अर्थात् पांचवे एवं छठवें सेमेस्टर को सफलतापूर्वक पूर्ण करने की अधिकतम अवधि 03 वर्ष (Diploma in Faculty पूर्ण करने के उपरान्त 03 वर्ष) निर्धारित है। इस अवधि में विद्यार्थी को यह Course Module आवश्यक क्रेडिट (पांचवे एवं छठवे सेमेस्टर में सम्मिलित रूप से 40 क्रेडिट) के साथ पूर्ण करना आवश्यक होगा, इसके पश्चात् ही विद्यार्थी अगले Course Module अर्थात् Bachelor (Research) in Faculty में प्रवेश हेतु योग्यता धारित कर सकेगा।

12. क्रेडिट एवं क्रेडिट निर्धारण :

12.1. क्रेडिट के आधार पर शिक्षण कार्य : थ्यौरी के एक क्रेडिट के पेपर में एक घंटा प्रति सप्ताह का शिक्षण कार्य होगा अर्थात् एक सेमेस्टर के 15 सप्ताह में 15 घंटे का शिक्षण कराना होगा।

12.2 प्रैक्टिकल/इंटर्नशिप/फील्ड वर्क आदि के एक क्रेडिट के पेपर में दो घंटे प्रति सप्ताह का शिक्षण कार्य होगा, अर्थात् एक सेमेस्टर के 15 सप्ताह में 30 घंटे का प्रैक्टिकल / इंटर्नशिप / फील्ड वर्क आदि कराना होगा। शिक्षक के कार्यभार की गणना में थ्यौरी के एक घंटे का कार्यभार प्रैक्टिकल / इंटर्नशिप/ फील्ड वर्क आदि के दो घंटे के कार्यभार के बराबर होगा।

12.3 क्रेडिट्स का राज्य स्तर पर संरक्षण – क्रेडिट संबंधित समस्त कार्य राज्य स्तरीय ABACUS-UP शासनादेश संख्या–1816/ सत्तर–3–2021 दिनांक 09–08–2021 के माध्यम से किए जाएंगे, जिसके दिशा निर्देश शासन द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुरूप अलगसे जारी किए जाएंगे।

12.4 वर्षवार / मॉड्यूलवार पाठ्यक्रमों के नाम : विद्यार्थी न्यूनतम 46 क्रेडिट अर्जित करने पर एक वर्षीय सर्टिफिकेट न्यूनतम 92 क्रेडिट अंजित करने पर दो वर्षीय डिप्लोमा तथा न्यूनतम 132 क्रेडिट अर्जित करने पर तीन वर्षीय स्नातक डिग्री ले सकता है। इसके आगे विद्यार्थी न्यूनतम 184 क्रेडिट अर्जित करने पर चार वर्षीय स्नातक डिग्री, न्यूनतम 232 क्रेडिट अर्जित करने पर स्नातकोत्तर डिग्री तथा न्यनूतम 248 क्रेडिट अर्जित करने पर पी०जी०डी०आर० ले सकता है।

12.5 क्रेडिट अर्जन तथा उपयोग के पश्चात् रि–क्रेडिट की सुविधा – एक बार क्रेडिट का उपयोग करने के पश्चात् विद्यार्थी उनके क्रेडिट का उपयोग नहीं कर सकेगा। उदाहरण के लिए यदि कोई विद्यार्थी एक वर्ष के बाद 46 क्रेडिट का प्रयोग कर सर्टीफिकेट प्राप्त करता है तो उसके क्रेडिट खर्च माने जायेंगे। यदि वह कुछ वर्षों बाद डिप्लोमा लेना चाहता है । तो वह या तो अपना मूल सर्टीफिकेट विद्यालय में जमा कर 46 क्रेडिट खाते में रि–क्रेडिट करेगा अथवा नए 46 क्रेडिट पुनः जमा करेगा, जिसके आधार पर वह द्वितीय वर्ष वास्तविक तृतीय वर्ष में (92–46+46) क्रेडिट अर्जित कर डिप्लोमा ले सकता है इसी तरह की व्यवस्था आगामी वर्षों के लिये भी होगी । यदि विद्यार्थी लगातार अध्ययन करता है तथा सर्टीफिकेट / डिप्लोमा नहीं लेता है तो वह 132 क्रेडिट के आधार पर डिग्री ले सकता है।

12.6 योग्य विद्यार्थी (Fast Learner) को सुविधा – यदि कोई योग्य विद्यार्थी (Fast Learner) कम समय में डिग्री के लिए आवश्यक क्रेडिट प्राप्त कर लेगा तो न्यूनतम क्रेडिट प्राप्त करने पर उसे अंतराल की

सुविधा होगी, परन्तु डिग्री तीन वर्ष बाद ही मिलेगी। अंतराल के दौरान वह किसी भी कार्य को करने के लिए स्वतंत्र होगा।

12.7 संकाय अथवा विषय बदलने पर डिप्लोमा नहीं – द्वितीय वर्ष में संकाय अथवा विषय परिवर्तन की स्थिति में अर्जित क्रेडिट सर्टिफिकेट की श्रेणी में आंएगे न कि डिप्लोमा की, क्योंकि डिप्लोमा प्राप्त करने के लिए उसे उसी विषय के आवश्यक क्रेडिट प्राप्त करने होंगे।

12.8 छात्र को उसके अपने संकाय में डिग्री – तीन वर्षों में विद्यार्थी जिस संकाय में न्यूनतम 60 प्रतिशत क्रेडिट प्राप्त करेगा उसी संकाय में उसे डिग्री दी जाएगी और विश्वविद्यालय में नियमानुसार स्नातकोत्तर में प्रवेश की सुविधा होगी।

12.9 बैचलर ऑफ लिबरल एजूकेशन (B.L.Ed.) – यदि विद्यार्थी तीन वर्ष में किसी एक संकाय में तीन मुख्य विषयों के कुल क्रेडिट का न्यूनतम 60 प्रतिशत, यथा–112 का 60 प्रतिशत अर्थात 67 क्रेडिट प्राप्त नहीं कर पाता है तो उसके बैचलर ऑफ लिबरल एजूकेशन (B.L.Ed.) की डिग्री दी जाएगी तथा वह उन विषयों में स्नातकोत्तर कर सकेगा जिनमें स्नातक स्तर पर किसी विषय की पूर्व पात्रता (Pre-Requisite) की आवश्यकता नहीं होगी। समान्यतः इस श्रेणी में कला संकाय के ऐसे विषय आएंगे जिनमें प्रयोगात्मक कार्य अनिवार्य नहीं है।

12.10 परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर रि–क्रेडिट वाले विद्यार्थियों को लाभ – यदि कोई योग्य विद्यार्थी सर्टिफिकेट/डिप्लोमा लेकर अपने क्रेडिट पुनः जमा (Re-Credit) कर लेता है और वह आगामी परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है तो वह रि–क्रेडिट किए गए क्रेडिट का उपयोग कर पुनः सर्टीफिकेट/डिप्लोमा प्राप्त कर सकता है।

12.11 रोजगारपरक पाठ्यक्रमों में क्रेडिट – रोजगार परक पाठ्यक्रम में प्रत्येक सेमेस्टर में विद्यार्थी को न्यूनतम 3 क्रेडिट अर्थात प्रति वर्ष 6 क्रेडिट अर्जित करने होंगे। विद्यार्थी आवश्यकता से अधिक क्रेडिट वाले रोजगार परक पाठ्यक्रम का चुनाव कर सकते हैं तथा उन्हें जमा कर सकते हैं, परन्तु एक वर्ष में 6 क्रेडिट/दो वर्ष में 12 क्रेडिट का उपयोग सर्टीफिकेट / डिप्लोमा / डिग्री प्राप्त करने में किया जायेगा।

13. उपस्थिति एवं परीक्षा व्यवस्था

13.1 परीक्षा देने से पूर्व में नियमानुसार 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी। क्रेडिट वैलिडेशन के लिए परीक्षा देना आवश्यक होगा। परीक्षा के बिना क्रेडिट अपूर्ण होंगे। छात्र कक्षा में उपस्थिति के आधार पर परीक्षा के लिए अर्हता प्राप्त करता है, परन्तु किसी कारण से परीक्षा नहीं दे पाता, तो वह आगामी समय में परीक्षा दे सकता है।

13.2 किसी पाठ्यक्रम संरचना (Course Module) के लिये निर्धारित क्रेडिट प्राप्त करने में असफल छात्र के लिये पृथक रूप से पुन. परीक्षा अथवा बैक पेपर परीक्षा आयोजित नहीं की जायेगी। सेमेस्टर प्रणाली की पारम्परिक और प्रचलित व्यवस्था के क्रम में उसे सम अथवा विषम सेमेस्टर की नियमानुसार आयोजित परीक्षा के साथ निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा करते हुए पुनः परीक्षा देनी होगी।

13.3 सभी विषयों के प्रश्नत्र 100 अकों के होंगे, जिनको क्रेडिट एवं फार्मूला के अनुसार परसन्टाइल एवं ग्रेड में सॉफ्टवेयर द्वारा परिवर्तित कर दिया जायेगा।

13.4 सभी विषयों की परीक्षा 100 में 25 अंकों के लिये सतत् आन्तरिक मूल्यांकन (Continuous Internal Evaluation : CIE) एवं 75 अंकों के लिये वाह्य मूल्यांकन के आधार पर ही सम्पन्न की जायेगी। 25 अंकों का आन्तरिक मूल्यांकन पाठ्यक्रमों में वर्णित व्यवस्था के अनुसार होगा।

13.5 महाविद्यालय केन्द्रीकृत व्यवस्था या अन्य शुचितापूर्ण व्यवस्था के अनुरूप सतत आन्तरिक मूल्यांकन करायेंगे तथा असाइनमेंट, क्लास टेस्ट की उत्तर पुस्तिकाओं व अन्य रिपोर्टों को परीक्षा परिणाम घोषित होने के कम से कम एक वर्ष आगे तक सुरक्षित रखा जायेगा। सभी विषयों की लिखित परीक्षा होगी एवं अनिवार्य को–करीकुलर विषय की परीक्षा बहुविकल्पीय आधार पर होगी।

13.6 रोजगारपरक पाठ्यक्रमों की परीक्षा : रोजगारपरक पाठ्यक्रमों की थ्यौरी / सामान्य भाग की परीक्षा (1 क्रेडिट) विश्वविद्यालयी संस्थानों/महाविद्यालय द्वारा करायी जायेगी तथा ट्रेनिंग/इंटर्नशिप (2 क्रेडिट) की परीक्षा स्किल पार्टनर द्वारा करायी जायेगी।

13.7 स्किल पार्टनर विद्यार्थी के द्वारा ट्रेनिंग / इंटरनशिप के दौरान किये गये कार्य तथा ऑनलाइन/ ऑफ लाइन परीक्षा के आधार पर उसके स्किल का आंकलन कर सकते हैं।

13.8 थ्यौरी एवं स्किल पार्ट (Theory and Skill Part) के अंक प्राप्त होने के पश्चात् समयान्तर्गत महाविद्यालय द्वारा ABACUS-UP पोर्टल पर अंक अपलोड किये जायेंगे। विश्वविद्यालयद्वारा प्राप्त अंकतालिका / डिग्री में उक्त रोजगार परक विषय का विवरण अंकित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय एवं स्किल पार्टनर संयुक्त रूप से विद्यार्थी को अलग से भी सर्टीफिकेट जारी कर सकते हैं।

14. उपरोक्त शासनादेश के निर्देशानुक्रम में उक्त संरचना मूल और अनुप्रयुक्त विज्ञान, कला, सामाजिक विज्ञान, मानविकी विज्ञान, वाणिज्य, भारतीय एवं विदेशी भाषाएँ तथा कृषि संकायों पर लागू होगी । तदनुक्रम में निम्न बिन्दुओं पर भी प्रमुखता से ध्यान अपेक्षित हैः

- स्नातक पाठ्यक्रन के प्रथम वर्ष के लिए 46 संचित क्रेडिट के सापेक्ष तीन प्रमुख विषय, एक सहायक (माइनर) विषय, दो सह–पाठ्यक्रम एवं दो व्यावसायिक पाठ्यक्रम होंगे। जिसे उत्तीर्ण करने पर Certificate in Faculty प्रदान किया जायेगा।
- द्वितीय वर्ष तक 92 क्रेडिट संचित के सापेक्ष द्वितीय वर्ष में तीन प्रमुख विषय, एक सहायक (माइनर) विषय, दो सह–पाठ्यक्रम तथा दो व्यवसायिक पाठ्यक्रम होंगे, जिसे उत्तीर्ण करने पर Diploma in Faculty प्रदान किया जायेगा।
- तृतीय वर्ष तक 132 संचित क्रेडिट के सापेक्ष इस वर्ष में दो प्रमुख विषय दो सह–पाठ्यक्रम तथा दो माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट होंगे, जिसे उत्तीर्ण करने पर Bechelor in Faculty की उपाधि प्रदान की जायेगी।
- चतुर्थ वर्ष तक 184 संचित क्रेडिट के सापेक्ष इस वर्ष में एक प्रमुख विषय, एक माइनर विषय तथा दो प्रमुख वृहद शोध परियोजनायें सम्मिलित होंगी। जिसे उत्तीर्ण करने पर शोध सहित स्नातक Bachelor (Research) in Faculty की उपाधि प्रदान की जायेगी।
- पंचम वर्ष तक 232 संचित क्रेडिट के सापेक्ष इस वर्ष में एक प्रमुख विषय एवं दो प्रमुख अनुसंधान परियोजनाएँ सम्मिलित होगी, जिसे उत्तीर्ण करने के उपरान्त स्नातकोत्तर Master in Faculty की उपाधि प्रदान की जायेगी।
- षष्ठम वर्ष तक 248 संचित क्रेडिट के सापेक्षा। इस वर्ष में एक प्रमुख विषय, एक अनुसंधान पद्धति एवं एक प्रमुख अनुसंधान परियोजना सम्मिलित होंगी, जिसे उत्तीर्ण करने के उपरान्त स्नातकोत्तर डिप्लोमा शोध (P.G.D.R. & Post Graduate Diploma in Research) प्रदान किया जा सकता है।

14.2 प्राथमिकता के आधार पर सातवे और आठवें वर्ष में अन्यथा की स्थिति में उसके आगे के वर्षों में शोध – प्रबन्ध (Reserach Thesis) जमा करना होगा, जिसके मूल्यांकन के उपरान्त सफल घोषित किये जाने की संस्तुति के आधार पर पी–एच0डी0 की उपाधि प्रदान की जायेगी।

14.3 यूनिफार्म क्रेडिट एवं ग्रेडिंग सिस्टम का निर्धारण शासकीय निर्देशों के अनुरूप प्रचलित व्यवस्था के मानकानुरूप किया जायेगा।

14.4 प्रवेश, निकास एवं पुनः प्रवेश व्यवस्था के सम्बन्ध में गाइडलाइन विश्वविद्यालय द्वारा ही जारी की जायेगी, महाविद्यालय अपने स्तर से इस सम्बन्ध में निर्णय नहीं लेंगे।

14.5 स्नातक पाठ्यक्रमों के प्रथम दो वर्षों में कौशल विकास से सम्बन्धित पाठ्यक्रम का अध्ययन अनिवार्य होगा। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग के साथ एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित किया गया है, जिसके आलोक में विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों को समन्वय स्थापित करना होगा।

राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़

शैक्षणिक कैलेंडर (Academic Calendar) सत्र 2022–23

क्र0स0	शैक्षणिक कार्यक्रम	दिनांक
1	स्नातक प्रथम सेमेस्टर सत्र 2022–23 के वेब रजिस्ट्रेशन की तिथि	15.06.2022 से 30.06.2022
2	समस्त परास्नातक एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रथम सेमेस्टर के वेब रजिस्ट्रेशन की तिथि	01.07.2022 से 10.07.2022
3	स्नातक प्रथम सेमेन्टर में प्रवेश की तिथि	05.07.2022 से 15.07.2022
4	समस्त परास्नातक एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रथम सेमेस्टर प्रवेश की तिथि	16.07.2022 से 26.07.2022
5	समस्त परास्नातक एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रम विषम सेमेस्टर की मिड–टर्म परीक्षा की तिथि	15.09.2022 से 25.09.2022
6	समस्त परास्नातक एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रम की प्रयोगात्मक परीक्षा की तिथि	15.11.2022 से 23.11.2022
7	स्नातक, परास्नातक एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रम विषम सेमेस्टर की सैद्धांतिक परीक्षा की तिथि	26.11.2022 से 24.12.2022
8	स्नातक एवं परास्नातक प्रथम वर्ष व्यक्तिगत परीक्षा फार्म भरने की तिथि	01.09.2022 से 30.09.2022
9	स्नातक, परास्नातक एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रम सम सेमेस्टर के परीक्षा फार्म भरने की तिथि	20.01.2023 से 30.01.2023
10	स्नातक, परास्नातक एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रम सम सेमेस्टर के मिड सेमेस्टर परीक्षा की तिथि	10.03.2023 से 20.03.2023
11	स्नातक, परास्नातक एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रम सम सेमेस्टर के प्रयोगात्मक परीक्षा की तिथि	21.03.2023 से 31.03.2023
12	स्नातक, परास्नातक एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रम सम सेमेस्टर एवं स्नातक तथा परास्नातक व्यक्तिगत परीक्षा प्रारम्भ तिथि	16.04.2023 से 15.05.2023
13	सेमेस्टर / वार्षिक परीक्षाफल घोषित होने की तिथि	30.05.2023

कुलसचिव